माननीय श्री मनीष कुमार ग्रोवर, मंत्री हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 27.09.2018 को सांय 03:00 बजे हुडा कन्वेन्सन हाल, सैक्टर–12, फरीदाबाद के सभागार में होने वाली जिला लोक सम्पर्क एवं परिवाद समिति की बैठक में विचार विमर्श के लिए रखे गए परिवादों का विवरणः—

क्र0 सं0	परिवादी का नाम	परिवाद का विवरण
पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद।		
1	श्री जीत सिंह पुत्र श्री बस्ती राम निवासी गांव अनखीर तहसील व जिला फरीदाबाद मो0 नं0 9810097699 पत्र क्रमांक 2569 / शिकायत दिनांक 26.03.2018	परिवादी की शिकायत है कि श्री मान जी का ध्यान उपरोक्त दोषीगण द्वारा नगर निंगम फरीदाबाद द्वारा सील किये गये अवैध ट्यूबबैल के पाईप को तोडकर व चोरी–छुपे गांव के सरकारी स्कूल के मैदान के नीचे से प्राईवेट पानी की पाईप लाईन डालकर और स्कूल की दीवार के साथ पानी की अवैध मोटर लगातार उससे उक्त सीलशुदा ट्युवबैल से पानी के दोहन की ओर दिलाना चाहता हूँ। उक्त दोषीगणों ने अनखीर बडखल रोड पर स्थित अपनी दुकानों के पीछे अवैध रूप से ट्यूवबैल लगा रखा था जिसे नगर निगम फरीदाबाद द्वारा सील कर दिया गया था परन्तु उपरोक्त दोषीगण ने उक्त ट्यूवबैल के लिए डाली गई पानी की पाईप लाईन को नीचे से तोडकर उसमें ज्वाईट लगा कर उसका तकरीबन आधा किलोमीटर दूर मोटर लगाकर अवैध रूप से जल दोहन कर रहे है और जब नगर निगम फरीदाबाद के कर्मचारी आकर उक्त ट्यूवबैल का मुआयना करते है तो ट्यूवबैल के उपर लगी हुई सील को देखकर वह लोग बिना कोई कार्यवाही किये वापिस चले जाते है इस प्रकार से उक्त दोषीगण ना केवल प्रशासन का बल्कि आमजन को भी नुकसान पहुँचा रहे है। **नोटः–(बैठक दिनांक 10.08.2018 की कार्यवाही रिपोर्ट) परिवाद हाजिर आया। अध्यक्ष महोदय ने उपमण्डल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पुलिस, नगर निगम फरीदाबाद, दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम फरीदाबाद तथा जिला लोक सम्पर्क एवं परिवाद समिति फरीदाबाद के गैर सरकारी सदस्य की कमेटी बनाई तथा उन्हे उक्त शिकायत की जांच करके अपनी रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश दिये, फिर उन्होने परिवाद को लम्बित रखने के आदेश दिये।**
2	श्री अग्रिम जैन तथा एस0सी0 जैन पिता अग्रिम जैन मो0 नं0 95811888, 9811585579	परिवादीगण की शिकायत है कि श्री मनीष कुमार जो कि Journey Voyages कम्पनी में काम करता है मेरे से एक लाख रू0 / – धोखाधडी करके टूर पर जाने के लिए अपने खाता सं0 001134894387 आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में पैसे जमा करा लिए। श्री मनीष कुमार ने न तो मेरे पैसे वापिस किये और न ही मुझे ट्रवल की सुविधा दी इसकी शिकायत साईवर सैल पुलिस लाईन सै0 30, फरीदाबाद की गई जिसका कोई समाधान नही हुआ। अतः दोषियों के खिलाफ कार्यवाहीक करके मेरी शिकायत का समाधान करे। **नोटः–(बैठक दिनांक 10.08.2018 की कार्यवाही रिपोर्ट) परिवादीगण हाजिर आये। अध्यक्ष महोदय ने पुलिस विभाग को इस शिकायत को इक्नोमी सैल में भेजने के आदेश देते हुये इस शिकायत को लम्बित रखने के भी आदेश दिये।**